झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
एल.पी.ए संख्या 373/2022

---

1. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, थाना - कोतवाली, डाक घर - रांची विश्वविद्यालय, जिला - रांची (झारखंड) में है, अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के माध्यम से, दरभंगा हाउस, थाना - कोतवाली, डाक घर - रांची विश्वविद्यालय, जिला - रांची (झारखंड) के माध्यम से और इसके महाप्रबंधक (कानूनी) माध्यम से, श्री पार्थ भट्टाचार्जी के पुत्र स्वर्गीय पी.सी. भट्टाचार्जी के पुत्र 34, प्रगति एन्क्लेव, डिबडीह, डाक घर - डोरंडा, थाना - डोरंडा, जिला - रांची - 834002 (झारखंड) में रहते हैं, जो यहां अन्य अपीलकर्ताओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।
2. निदेशक (कार्मिक), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, दरभंगा हाउस, थाना - कोतवाली,
   डाक घर - रांची विश्वविद्यालय, जिला - रांची (झारखंड)।
3. महाप्रबंधक (पी एंड आईआर), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस में कार्यालय, थाना - कोतवाली, डाक घर - रांची विश्वविद्यालय, जिला - रांची (झारखंड)।
4. मुख्य प्रबंधक (एमपी और आरसीसीएच), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस में कार्यालय, थाना - कोतवाली, डाक घर - रांची विश्वविद्यालय, जिला - रांची (झारखंड)।
5. वरिष्ठ प्रबंधक (पी/एमपी), मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाक घर और थाना - बेरमो, जिला - बोकारो (झारखंड) का ढोरी क्षेत्र।
6. स्टाफ ऑफिसर, मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाक घर और थाना - बेरमो, जिला - बोकारो (झारखंड) का ढोरी क्षेत्र।
7. परियोजना अधिकारी, धौरी (के) कोलियरी ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाक घर - फुसरो बाजार, थाना - बेरमो, जिला - बोकारो (झारखंड)।
8. वरिष्ठ अधिकारी (पी), एन.एस.डी. कोलियरी ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाक घर - मार्कोली, थाना - बेरमो, जिला - बोकारो (झारखंड)।
9. सहायक प्रबंधक (पी), एन.एस.डी. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के एनएसडी कोलियरी, डाक घर - मार्कोली, थाना - बेरमो, जिला - बोकारो (झारखंड)।

... ... अपीलकर्ता

बनाम

चंदन बाउरी, पुत्र स्वर्गीय अजीत बाउरी, निवासी ग्राम-तेलीडीह, डाक घर एवं थाना चास, जिला-बोकारो, वर्तमान में निवासी राजेंद्र कॉलोनी, डाक घर फुसरो, थाना बेरमो, जनपद-बोकारो (झारखंड)।

... ... प्रतिवादी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय

अपीलकर्ताओं के लिए: श्री अमित कुमार दास,

उत्तरदाता के लिए : ------

<u>मौखिक निर्णय</u>

<u>आदेश संख्या 08 : दिनांक 18 अप्रैल , 2024</u>

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, के अनुसार

<u>अंतरवर्ती आवेदन संख्या 6116/2023</u>

1. वर्तमान अंतरवर्ती आवेदन तत्काल अपील दायर करने में 68 दिनों की देरी के लिए माफी के लिए दायर किया गया है।

2. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील को सुना।

3. इस आवेदन में किए गए कथनों के संबंध में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं को सीमा की अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता देने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

4. तदनुसार, अंतरवर्ती आवेदन संख्या 6116/2023 की अनुमति दी जाती है और अपील को प्राथमिकता देने में देरी को माफ किया जाता है।

<u>एल.पी.ए संख्या 373/2022</u>

5. तत्काल इंट्रा-कोर्ट अपील लेटर्स पेटेंट के क्लॉज 10 के तहत है, जो इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (एस) संख्या 3144/2019 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 06.12.2021 के खिलाफ निर्देशित

है, जिसके तहत और जिसके तहत दिनांक 24.06.2017 का निर्णय दिनांक 13.07.2017 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, जिसके द्वारा अनुकंपा के आधार पर रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है, और रद्द कर दिया गया है इस निर्देश के साथ कि

प्रतिवादियों को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर मामले पर नए सिरे से विचार करना होगा। यदि याचिकाकर्ता का मामला फिट पाया जाता है, तो उसके बाद दो सप्ताह की और अवधि के भीतर उसके पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी किया जाए।

6. मामले के संक्षिप्त तथ्य जिन्हें यहां गिनाने की आवश्यकता है, नीचे पढ़ें: -

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके पिता को 16.09.1994 को नियुक्त किया गया था और वह एनएसडी कोलियरी, ढोरी (के), डाक घर - फुसरो, जिला-बोकारो में तैनात थे और 12.09.2018 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। सेवा रिकॉर्ड के अनुसार, सेवा अवधि के दौरान, मृतक - याचिकाकर्ता के पिता, 20.05.2003 को बीमार पड़ गए और बीमारी लंबी अवधि तक जारी रही और वर्ष 2014 में, उन्होंने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया और 20.03.2014 को उनकी मृत्यु हो गई।

7. यह याचिकाकर्ता का आगे का मामला है कि हालांकि अन्य दो भाई हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दी और इसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर अधिकारियों के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करके अनुकंपा

नियुक्ति का दावा किया। प्रतिवादी - प्रबंधन ने याचिकाकर्ता के मामले को एकमात्र आधार पर खारिज कर दिया है कि मृतक - पिता 11 साल तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे और उन्होंने काम नहीं किया है और इस तरह, याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं है।

8. उक्त अस्वीकृति आदेश से व्यथित होकर रिट

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (एस) संख्या 3144/2019 के तहत रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय से इस आधार पर संपर्क किया कि याचिकाकर्ता अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और कमाऊ खाऊ है है, और, इस तरह के निर्देश उत्तरदाताओं को अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए दिया जा सकता है।

9. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मृतक पिता ने उस अवधि के लिए काम नहीं किया था जब वह बीमारी में था क्योंकि वह अपनी गंभीर बीमारी के कारण ड्यूटी / काम में भाग लेने से डर रहा था।

10. प्रतिवादी रिट अदालत के समक्ष पेश हुए और इस आधार पर जवाबी हलफनामा दायर किया कि याचिकाकर्ता और उसका पूरा परिवार बिना किसी वित्तीय सहायता के 11 साल से जीवित है और इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ता के पिता ने कभी भी 11 साल तक काम नहीं किया और इसलिए, अनुकंपा के आधार पर किसी भी नियुक्ति के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

11. पक्षकारों को सुनने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 06.12.2021 के आदेश के तहत दिनांक 24.06.2017 के अस्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया, जैसा कि पत्र दिनांक 13.07.2017 द्वारा सूचित किया

गया था, जिसके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था और उत्तरदाताओं को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया था। यदि याचिकाकर्ता का मामला फिट पाया जाता है, तो उसके पक्ष में नियुक्ति पत्र और दो हफ्ते के भीतर जारी किया जाए

12. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 06.12.2021 के आदेश से व्यथित होकर, सीसीएल द्वारा तत्काल पत्र पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी गई है।

13. तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता के पिता को 16.09.1994 को नियुक्त किया गया था और काम करते समय, 20.03.2014 को उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के आधार पर अपनी नियुक्ति का दावा किया, लेकिन इसे दिनांक 24.06.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसे 13.07.2017 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, जिसमें इस आधार पर कहा गया था कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां किसी वित्तीय सहायक की आवश्यकता है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता के पिता 11 साल की लंबी अवधि के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित थे।

14 याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश से व्यथित होकर रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। विद्वान एकल न्यायाधीश, ***नूरी एक्का*** उर्फ़ ***नुहरी एक्का बनाम मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य में*** डब्ल्यूपी (एस) संख्या 1400/2014 ***में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में***

रखते हुए, जिसकी 1999 में डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई थी।

एल.पी.ए संख्या 267/2017 ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे को खारिज करने के फैसले को रद्द कर दिया है, जो तत्काल अपील का विषय है।

15.श्री अमित कुमार दास, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश का विरोध निम्नलिखित आधार लिए हैं:-

(१) विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य की सराहना नहीं की है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य वित्तीय सहायक प्रदान करना है और जब याचिकाकर्ता के पिता को ड्यूटी से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण नियोक्ता से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही थी, इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की कोई आवश्यकता है।

(२) यह तर्क दिया गया है कि मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए, वर्तमान अपील।

16. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम बी एस भदौरिया और अन्य ***के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।*** सीए संख्या 4588/2014 (एसएलपी (सी) संख्या 34238/2012 से उत्पन्न***) में पारित किया गया।*** हालांकि, मि. दास ने निष्पक्षता से इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा एलपीए संख्या 141

/2022 [मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम जय मूर्ति देवी] में पारित एक असूचित निर्णय/आदेश भी रखा ***है।***/जिसमें लंबी अनधिकृत अनुपस्थिति की समान परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने से इनकार करने के निर्णय को रद्द कर दिया गया था और निर्धारित किया गया था

उसके बाद दो सप्ताह की अवधि।

17. इस न्यायालय ने अपीलकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और आक्षेपित आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्षों को देखा है।

18. इस मामले में निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, जो राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के तहत आश्रित होने का दावा कर रहा है, ने राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के तहत खंड 9.3.0 के तहत निर्धारित शर्त के संदर्भ में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है।

19. उपरोक्त दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता लगभग 11 वर्षों की अवधि के लिए अनधिकृत अनुपस्थिति पर थे, इसलिए संबंधित प्राधिकारी ने इस आधार पर दावे को खारिज कर दिया है कि जब पिता अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे और वह बिना किसी वित्तीय मदद के जीवित थे, तो वित्तीय सहायता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

20. इस न्यायालय को, आक्षेपित आदेश की वैधता और औचित्य में प्रवेश करने

से पहले, मूल कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संघ के साथ एक समझौता (NCWA) में प्रवेश करते समय मूल उद्देश्य का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

21. राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार का मूल उद्देश्य कोल इंडिया लि तथा इसकी सहायक कंपनियों जैसे अपील कर्ता यानि सी सी एल में कार्यरत कामगारों/कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

22. यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता एक द्विपक्षीय समझौता है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत है। कोल इंडिया लि और यूनियन के बीच ऐसा करार सुलह कार्यवाही से इतर हुआ है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 18 के प्रावधान का संदर्भ इस प्रकार की टिप्पणी करने के प्रयोजन के लिए दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 18 के प्रावधान के मद्देनजर है, जो इसके अंतर्गत निम्नानुसार है -

> **"18. ऐसे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय बाध्यकारी हैं**- (1) सुलह कार्यवाही के दौरान नियोक्ता और कामगार के बीच समझौते द्वारा किया गया समझौता समझौते के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
>
> (दो) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, एक मध्यस्थता पुरस्कार जो लागू करने योग्य हो गया है, समझौते के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा जिन्होंने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया था।
>
> (तीन)इस अधिनियम के तहत सुलह कार्यवाही के दौरान एक समझौता या एक मामले में एक मध्यस्थता पुरस्कार जहां धारा 10 ए की उप-धारा (3 ए) या श्रम न्यायालय,

ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के एक अवार्ड के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है] जो लागू करने योग्य हो गई है, निम्नलिखित पर बाध्यकारी होगी-

(अ) औद्योगिक विवाद के सभी पक्ष;

(आ) अन्य सभी पक्षों को विवाद के पक्षकारों के रूप में कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया, जब तक कि बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल, जैसा भी मामला हो, इस राय को दर्ज करता है कि उन्हें उचित कारण के बिना बुलाया गया था;

(इ) जहां खंड में निर्दिष्ट एक पार्टी (ए) या खंड (ख) एक नियोक्ता है, उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी या उस प्रतिष्ठान के संबंध में असाइन करता है जिससे विवाद संबंधित है;

(ई) जहां खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट एक पार्टी कामगारों से बना है, सभी व्यक्ति जो स्थापना या प्रतिष्ठान के हिस्से में कार्यरत थे, जैसा भी मामला हो, जिससे विवाद विवाद की तारीख से संबंधित है और सभी व्यक्ति जो बाद में उस प्रतिष्ठान या भाग में कार्यरत हो जाते हैं"

23. राष्ट्रीय कोयला वेतन करार के बाध्यकारी प्रभाव के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (***2007) 8 एससीसी 549*** में रिपोर्ट ***मोहन महतो बनाम सेंट्रल कोल फील्ड लि और अन्य*** के मामले में विचार किया गया है जिसमें पैरा-10 के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 18 के प्रावधान का

उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार के निहितार्थ पर विचार किया गया है। (ख) वर्ष 1947 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार का सांविधिक उत्साह माना गया है, तैयार संदर्भ के लिए उपर्युक्त निर्णय के पैरा -10 को निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है -

> **"10.** उपधारा के अर्थ के भीतर एक समझौता
> (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 18 की धारा (3) दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है और तब तक लागू रहती है जब तक कि इसमें परिवर्तित, आशोधित, अथवा एक और समझौते द्वारा प्रतिस्थापित। निपटान में सीमा की कोई अवधि प्रदान नहीं की गई थी। हम यह मान लेंगे कि प्रतिवादी के पास इस तरह के परिपत्र को जारी करने का अधिकार क्षेत्र था, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित की गई थी। लेकिन, इस तरह के परिपत्र को न केवल कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता थी, बल्कि पार्टियों द्वारा और उनके बीच किए गए समझौते को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना भी आवश्यक था। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (एस) में निहित कर्मकार की विस्तारित परिभाषा अपीलकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगी, जो निश्चित रूप से उसमें निहित पूर्ववर्ती शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

24. राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते से यह स्पष्ट है कि मौद्रिक मुआवजा प्रदान करने और नियुक्ति प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। नियुक्ति प्रदान करने की शर्त खंड 9.3.0 के तहत है। खंड 9.3.0 से खंड 9.3.4 को इसके तहत संदर्भित किया जा रहा है: -

"9.3.0 आश्रितों को रोजगार का प्रावधान

नौ.तीन.एक स्थायी रूप से विकलांग कामगारों और सेवा के दौरान मरने वाले कामगारों के एक आश्रित को रोजगार प्रदान किया जाएगा। प्रावधान निम्नानुसार लागू किया जाएगा।

नौ.तीन.दो **सेवा के दौरान मरने वाले कामगार के एक आश्रित को रोजगार**

जहां तक महिला आश्रितों का संबंध है, उनके रोजगार/मौद्रिक मुआवजे का भुगतान पैरा 9.5.0 द्वारा शासित होगा।

नौ.तीन.तीन इस प्रयोजन के लिए आश्रित का अर्थ है पत्नी/पति, जैसा भी मामला हो, अविवाहित बेटी, पुत्र और कानूनी रूप से दत्तक पुत्र। यदि रोजगार के लिए ऐसा कोई प्रत्यक्ष आश्रित उपलब्ध नहीं है तो मृतक के साथ रहने वाले भाई, विधवा पुत्री/विधवा बहू अथवा दामाद तथा मृतक की आय पर लगभग पूर्णत निर्भर व्यक्ति को मृतक का आश्रित माना जा सकता है।

नौ.तीन.चार रोजगार के लिए विचार किए जाने वाले आश्रित शारीरिक रूप से फिट और रोजगार के लिए उपयुक्त होने चाहिए और 35 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए, बशर्ते कि महिला पति या पत्नी के रोजगार के मामले में आयु सीमा
खंड 9.5.0 में दिए गए अनुसार 45 वर्ष। जहां तक पुरुष पति या पत्नी का संबंध है, रोजगार के प्रावधान के संबंध में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

25. चूंकि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी योजना सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में है, इसलिए मृत कर्मचारी की दुर्दशा से निपटने के लिए द्विपक्षीय करार करके यह निर्णय लिया गया है कि यदि एक अथवा दूसरे कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

26. यहां यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के अनुसार नियुक्ति का प्रस्ताव प्रदान करने का अभिप्राय राज्य या केंद्र सरकार या किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा शुरू की गई सामान्य योजना के तहत प्रदान की जाने वाली नियुक्ति की तुलना में उद्देश्य और विचार में भिन्न है।

आश्रितों को उसमें परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है, उक्त समझौते में विचार किया गया है कि प्राथमिक चिंता उस कामगार के आश्रित को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो सेवा में रहते हुए मर जाता है, जो निर्वाह नियोक्ता कर्मचारी संबंध पर निर्भर करता है।

27. इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं ने कर्मचारी के साथ वर्तमान याचिकाकर्ता की निर्भरता के सवाल पर विवाद नहीं किया है।

28. एकमात्र आधार यह माना गया है कि संबंधित कर्मचारी लगभग 11 वर्ष की अवधि के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहा था।

लगभग 11 साल, अनधिकृत कहा जाता है। लेकिन, यह तथ्य स्वीकार किया गया है, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि भले ही रिट याचिकाकर्ता के पिता को 11 साल से अनधिकृत अनुपस्थिति पर पाया गया था, लेकिन कभी भी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है ताकि रिट याचिकाकर्ता के पिता को नियोक्ता के रोल से उनका नाम हटाकर सेवा से अलग किया जा सके। इसलिए, अपीलकर्ताओं और रिट याचिकाकर्ता के पिता के बीच नियोक्ता कर्मचारी संबंध विवादित नहीं है।

29. इस न्यायालय का विचार है कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध विवाद में नहीं है, तो क्या राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के अनुसरण में नियुक्ति प्रदान करने से इनकार करना उचित कहा जा सकता है और यदि यह उचित नहीं है, तो क्या नियोक्ता को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के उद्देश्य और इरादे के विपरीत ऐसा आधार लेने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें कोई चर्चा नहीं है कि क्या किया जाना है ऐसी परिस्थितियों में।

30. कानून अच्छी तरह से तय है कि जब पार्टियों के बीच कोई समझौता किया जाता है जो एक अनुबंध है, तो दोनों पक्षों में से कोई भी विचलन नहीं हो सकता है, अन्यथा, अनुबंध में प्रवेश करने का मूल उद्देश्य निरर्थक होगा और यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी, तो यह हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक की ओर से समझौते का एकतरफा विचलन होगा, यानी, अपीलकर्ता यहाँ।

31. यह कानून की स्थापित स्थिति है कि किसी भी समझौते में सांविधिक उपबंध जैसी नई बातों का अंतस्थापन नहीं हो सकता है जिसमें संविधि को उस रीति से पढ़ा जाना है जैसा कि विधानमंडल द्वारा विहित किया गया है और इससे कोई विचलन नहीं हो सकता है, इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य ***बनाम सिंघाड़ा सिंह और अन्य , एआईआर (1964) एससी 358***, के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है

जिसमें इसे पैराग्राफ 8 में निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

> 25. "…. इसका परिणाम यह है कि यदि किसी संविधि ने कोई कार्य करने की शक्ति प्रदान की है और उस पद्धति को निर्धारित किया है जिसमें उस शक्ति का प्रयोग किया जाना है, तो यह आवश्यक रूप से उस कार्य को निर्धारित तरीके से करने से रोकता है। नियम के पीछे सिद्धांत यह है कि यदि ऐसा नहीं होता, तो वैधानिक प्रावधान भी अधिनियमित नहीं किया जा सकता था। "

32. बाबू वर्गीज और अन्य ***बनाम बार काउंसिल ऑफ केरल और अन्य, (1999) 3 एससीसी 422*** के मामले में , जिसमें इसे पैराग्राफ 31 और 32 में निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

> "**31.** यह कानून का मूल सिद्धांत लंबे समय से तय है कि

यदि किसी विशेष कार्य को करने का तरीका किसी कानून के तहत निर्धारित किया जाता है, तो उस कार्य को उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। इस नियम की उत्पत्ति टेलर बनाम टेलर के निर्णय में पता लगाने योग्य है। जिसको लॉर्ड रोच ने नजीर अहमद बनाम किंग सम्राट के मामले में माना एवं उन्होंने इस तरह कहामें कहा था, जिन्होंने निम्नानुसार कहा था: "जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने के लिए शक्ति दी जाती है, उस चीज को उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं"

इस नियम को इस न्यायालय ने राव शिव बहादुर सिंह बनाम बीपी राज्य और पुनः दीप चंद बनाम राजस्थान राज्य के मामलें में अनुमोदित किया है इन मामलों पर उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया था और नजीर अहमद मामले में निर्धारित नियम को फिर से बरकरार रखा गया था।

यह नियम तब से अदालतों द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लागू किया गया है और इसे प्रशासनिक कानून के वैधानिक सिद्धांत के रूप में भी मान्यता दी गई है।

33. तथापि, राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार को सांविधिक नियम नहीं माना गया है बल्कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सांविधिक उत्साह है कि यह करार सुलह प्रक्रिया से इतर किया गया है और इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 18(3) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए इसे सांविधिक उत्साह प्राप्त हुआ है। जिस क्षण इसे वैधानिक उत्साह मिल जाता है, तो यह किसी एक पक्ष के लिए इससे विचलित होने के लिए उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि, समझौते में निहित पूरी शर्त को उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

34. इस न्यायालय ने कानून की उपरोक्त स्थिति पर विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के पिता को कभी भी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया था, इसलिए, चूंकि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध उस दिन मौजूद था जब रिट याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए, राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के तहत निर्धारित शर्त रिट याचिकाकर्ता के मामले में लागू होगी।

35. जहां तक याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का संबंध है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा टिप्पणी की गई है कि पात्रता पर विचार किया जाना है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

36. इस न्यायालय का यह भी विचार है कि समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय का संदर्भ होना आवश्यक है

यहां संदर्भित किया गया है जिसमें समान परिस्थितियों में डब्ल्यूपी (एस) संख्या 6669/2014 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को एलपीए संख्या 141/2022 [मैसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम जयमूर्ति देवी] में पारित आदेश दिनांक 27.03.2023 के माध्यम से मध्यक्षेप करने से मना कर दिया गया है तैयार सन्दर्भ के लिए उक्त निर्णय का उचित पैरा यहाँ संदर्भित किया जा रहा है

> "**5.** रिट याचिकाकर्ता के पति धनेशर मल्लाह सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारी थे। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था, इसलिए उसका इलाज हुआ था। हालांकि, वह अपने कर्तव्यों में शामिल नहीं हुए, फिर भी उन्हें कंपनी के रोल में रखा गया। नियोक्ता द्वारा रिट याचिकाकर्ता के पति

के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और न ही कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया गया था। दिनांक 11-12-2011 को कर्मचारी की मृत्यु हो गई। दिनांक 09/01/2012 को प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए) के अनुसार उसके पुत्र के लिए अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया गया था। ये स्वीकृत तथ्य हैं।

6. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कर्मचारी की मृत्यु की तारीख तक, उसका नाम कंपनी द्वारा बनाए गए "मैनपावर रोल्स" में था। कर्मचारी का नाम 15.3.2012 को यानी कर्मचारी की मृत्यु के बाद और अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किए जाने के बाद हटा दिया गया था। यह तथ्य स्पष्ट रूप से बताता है कि कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर, वह कंपनी के रोल में था।

7. एनसीडब्ल्यूए के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारी के आश्रितों में से एक को दी जाती है, जिसकी हार्नेस में मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि कर्मचारी धनेश्वर मल्लाह की मृत्यु हो गई क्योंकि उनकी मृत्यु के समय कंपनी के रोल में उनका नाम था।

8. चूंकि मृत्यु के समय, मृतक सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि में एक कर्मचारी था, केन्द्रीय कोलफील्ड्स लि के मामले में रिट याचिकाकर्ता के पुत्र की अनुकम्पा नियुक्ति के दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूर्वोक्त तथ्य की सही सराहना करते हुए रिट याचिका को इस निर्देश के साथ अनुमति दी है कि वह रिट याचिकाकर्ता के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने पर विचार करे, क्योंकि यह मामला हार्नेस में मृत्यु का मामला है।

9. हमें आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली। तदनुसार, यह पत्र पेटेंट अपील खारिज कर दी गई है”

37. इस न्यायालय का विचार है कि डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश समन्वय डिवीजन बेंच पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का न्यायिक अनुशासन के पैरामीटर के आधार पर पालन किया जाना है ताकि आदेश में असंगति से बचा जा सके, यदि डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश बिल्कुल उसी तथ्य पर है"

38. यह न्यायालय अपने कर्तव्य में विफल हो जाएगा यदि निर्णय का संदर्भ जिस पर सीसीएल के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वकील श्री ए.के.दास द्वारा भरोसा किया गया है, को संदर्भित नहीं किया जाएगा।

39. यह तर्क उठाया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबी अनुपस्थिति के मामले पर विचार किया है और यहां तक कि अगर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होती है, तो उसकी सेवाओं को परित्यक्त माना जाएगा।

40. यह न्यायालय पूर्वोक्त तथ्य पर विवाद नहीं कर रहा है, लेकिन कानून अच्छी तरह से तय है कि निर्णय की प्रयोज्यता प्रत्येक मामले में शामिल तथ्य के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए, इस संबंध में ***संदर्भ डॉ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [(2014) 5 एससीसी 75]*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के लिए पैराग्राफ 47 में किया जाए जो यहां उद्धृत किया गया है: -

> **"47.** यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि किसी भी निर्णय के अनुपात को उस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि

में समझा जाना चाहिए और मामला केवल एक प्राधिकरण है कि यह वास्तव में क्या निर्णय लेता है, न कि तार्किक रूप से इसका क्या अनुसरण करता है। "अदालत को इस बात पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए कि निर्णय की तथ्यात्मक स्थिति के साथ तथ्यात्मक स्थिति कैसे फिट बैठती है, जिस पर निर्भरता रखी गई है।

41. वर्तमान मामले का तथ्य राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते से संबंधित है जिसका इस न्यायालय ने पहले ही उल्लेख किया है कि इसमें वैधानिक उत्साह है और इसमें निर्धारित शर्त से कोई विचलन नहीं हो सकता है और जब तक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध मौजूद है, नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा विशेष मामले के तथ्य में खंड 9.3.0 के तहत पालन की जाने वाली शर्त आवश्यक है।

42. वह मामला जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबी अनुपस्थिति के कारण परित्याग के सिद्धांत के बारे में विचार व्यक्त किया है, अर्थात, योजना के तहत नियुक्ति प्रदान करने के सामान्य प्रावधान के संबंध में। माना जाता है कि अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति प्रदान की जानी है, वह मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का अपवाद है इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय लोक ***निर्देश आयुक्त और अन्य बनाम के.आर. विश्वनाथ [(2005) 7 एससीसी 2006*** का निर्णय संदर्भित किया जाता है जिसमे माननीय उच्चतम न्यायालय विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए पैराग्राफ 9 में निम्नवत अवधारित किया है

"**9.** जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम रानी देवी [(1996) 5 एससीसी 308] में

देखा गया था, यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति का दावा इस आधार पर आधारित है कि वह मृत कर्मचारी पर निर्भर था। संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 की कसौटी पर इस दावे को बरकरार नहीं रखा जा सकता। तथापि, ऐसे कर्मचारी के परिवार में अचानक उत्पन्न संकट के आधार पर ऐसे दावे को औचित्यपूर्ण और अनुमेय माना जाता है जिसने राज्य की सेवा की है और सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि अधिकारियों के लिए नियम, विनियम बनाना या ऐसे प्रशासनिक आदेश जारी करना आवश्यक है जो अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर खरे उतर सकें। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। डाई-इनहार्नेस स्कीम को सभी प्रकार के पदों पर लागू नहीं किया जा सकता है, चाहे मृत कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रकृति कुछ भी हो। रानी देवी मामले [(1996) 5 एससीसी 308] में यह माना गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में योजना यदि प्रशिक्षुओं के रूप में काम करने वालों सहित सभी प्रकार के आकस्मिक या तदर्थ कर्मचारियों को लागू की जाती है, तो संवैधानिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम आशा रामचंद्र आंबेकर [(1994) 2 एससीसी 718] में यह बताया गया था कि उच्च न्यायालय और प्रशासनिक न्यायाधिकरण निम्नलिखित द्वारा प्रेरित आशीर्वाद प्रदान नहीं कर सकते हैं

<u>मृत कर्मचारी उक्त नियम का अपवाद है। यह रियायत है, अधिकार नहीं।</u>

> अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करना जब उनके संबंध में बनाए गए विनियम ऐसी नियुक्तियों को कवर नहीं करते हैं और उन पर विचार करते हैं। यह उमेश कुमार नागपाल बनाम के आर विश्वनाथ (2005) 7 एस.सी.सी,206 में नोट किया गया था। हरियाणा राज्य [(1994) 4 एससीसी

138] कि लोक सेवा में एक नियम के रूप में नियुक्ति आवेदनों और योग्यता के खुले आमंत्रण के आधार पर सख्ती से की जानी चाहिए। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का एक अन्य स्त्रोत नहीं है बल्कि सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त आवश्यकता का अपवाद मात्र है और उसके परिवार को आजीविका का कोई साधन नहीं छोड़ना है। ऐसे मामलों में उद्देश्य परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है। लेकिन अनुकंपा के आधार पर ऐसी नियुक्तियां मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमों, विनियमों या प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए"

43. सेल बनाम मधुसूदन दास, (2008) 15 एससीसी 560 ***के मामले में,*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ -15 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"15. इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में निर्णयों में माना है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। नियमों में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके लिए निर्धारित मानदंड अर्थात परिवार के एकमात्र रोटी कमाने वाले की मृत्यु स्थापित की जानी चाहिए। यह न्यूनतम राहत प्रदान करने के लिए है। जब इस तरह की दलीलें उठाई जाती हैं, तो ऐसी योजना बनाने के पीछे समानता के संवैधानिक दर्शन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। <u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में कहा गया है कि सभी पात्र उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए। अनुकंपा के आधार पर मृत कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति की पेशकश उक्त नियम का</u>

अपराध है

कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम जय मूर्ति देवी] जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह विचार है कि आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

44. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम *शशांक गोस्वामी* के मामले में दिनांक *10-11-2008* के अपने निर्णय में** उसी पंक्ति में दोहराया है और पैरा -9 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> "9. ... अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा इस आधार पर है कि आवेदक मृत कर्मचारी पर निर्भर था। सख्ती से, इस तरह के दावे को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 की कसौटी पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तथापि, ऐसे कर्मचारी के परिवार में अचानक उत्पन्न संकट के आधार पर ऐसे दावे को औचित्यपूर्ण और अनुमेय माना जाता है जिसने राज्य की सेवा की है और सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

45. लेकिन, यहां चूंकि हम राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 18 के अंतर्गत निर्धारित अनुबंध के आलोक में सांविधिक उत्साह है। इसलिए, ***मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम बीएस भदौरिया*** (सुप्रा) के मामले में शामिल तथ्यात्मक पहलू इस मामले में लागू नहीं होता है।

46. इस न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता में और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***डब्ल्यूपी (एस) संख्या 1400/2014*** में ***नूरी एक्का*** उर्फ़ ***नुहरी एक्का बनाम मैसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य*** में पारित आदेश पर विचार किया है, जिसकी पुष्टि एलपीए संख्या 267/2017 ***में डिवीजन बेंच द्वारा*** एलपीए संख्या 141/2022 [***मेसर्स सेंट्रल*** कोलफिल्ड्स ***लिमिटेड*** और अन्य बनाम जयमूर्ति देवी***]*** ***में पारित आदेश दिनांक 27.03.2023 के साथ की गई थी***, उपरोक्त सन्दर्भ में, यह न्यायालय इस विचार का है कि विवादित आदेश में किसी हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है

47. तदनुसार तत्काल अपील असफल है और खारिच की जाती है

(सुजीत नारायण प्रसाद जे)

(अरुन कुमार राय जे)

बिरेन्द्र/ए.एफ.आर.

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।